



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013-आश्विन 5, शके 1935

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

प्ररूप-उन्नीस

[नियम-19(5) देखिये]

[ धारा-50 की उप-धारा ( 7 ) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना ]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना अर्थात् ग्राम मुबारकपुर एवं कुराना क्षेत्र में एयरो सिटी फेस-2, योजना के लिए धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के एतद्द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के लिए निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं :-

1. कार्यालय आयुक्त/संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म. प्र. शासन, ई-5, पर्यावरण परिसर, भोपाल.
2. कार्यालय आयुक्त नगर निगम, भोपाल (सदर मंजिल, भोपाल)
3. कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल, प्रगति भवन, एम. पी. नगर, जोन-1, प्रेस कॉम्प्लेक्स, भोपाल.

अनुसूची क्रमांक-1

एयरो सिटी फेस ( 2 ) योजना में सम्मिलित खसरों का विवरण

ग्राम मुबारकपुर

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा	योजना में सम्मिलित रकबा	एन एच तथा बाईपास में सम्मिलित रकबा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	
1.	200/1/ 1, 201/1, 288/ 202/ 1	0.565			
2.	200/1/2, 201/1, 288/ 202/ 1	0.370		0.370	सड़क
	200/2, 201/ 2,288/202/ 2	0.312		0.312	सड़क

1	2	3	4	5	6
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	
3.	200, 201, 288, 202/3/1	0.200		0.200	सड़क
4.	200, 201, 288, 202/3/ 2	0.027			
		<b>1.474</b>	<b>0.592</b>	<b>0.882</b>	
5.	202/1	1.247			
6.	202/ 2/ 1, 205/2	1.513			
7.	202/ 2/ 1 ,205/2 क	0.085			
8.	202/ 2/2	0.146			
		<b>2.991</b>	<b>2.991</b>		
9.	204/ 1/ 1	0.202			
10.	204/ 1/ 2	0.105			
11.	162/1	0.097			
		<b>0.404</b>	<b>0.335</b>		
12.	203	0.077	0.063		रास्ता
13.	204/ 2	0.021	0.021		
14.	205/1	1.416	0.153		
15.	206/1	2.456	2.228		
16.	206/2	0.894	0.894		
17.	164, 165, 166/3	0.412	0.369		
18.	167/1	0.113	0.113		
19.	167/2	0.154	0.154		
20.	168,169/1/1	0.405			
21.	168,169/1/2	0.809			
22.	168,169/2/ 1/ 1 क	0.141			
23.	168,169/ 2/ 1/ 1 ख	0.064			
24.	168,169/2/ 1/2 क	0.109			
25.	168,169/2/ 1/2 ख	0.045			
26.	168,169/2/ 1/3	0.154			
27.	168,169/2/ 1/4	0.206			
28.	168,169/2/ 1/5	0.113			
29.	168,169/2/ 1/6	0.073			
30.	168,169/2/ 1/7	0.053			
31.	168,169/ 2/ 1/ 8	0.113			
32.	168,169/2/1/9	0.101			
33.	168,169/2/ 1/ 10	0.250		0.250	सड़क
34.	168,169/2/1	0.397			
35.	168,169/2/2/1 क	0.809		0.809	सड़क
36.	168,169/2/ 2/1 ख	0.202			

1	2	3	4	5	6
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	
37.	168, 169/2/ 2/ 2	0.142		0.142	सड़क
38.	168, 169/2/ 2/ 3/ 1	0.340		0.340	सड़क
39.	168, 169/2/ 2/ 3/ 2	0.320			
40.	168, 169/2/3 क	1.645			
41.	168, 169/2/3 क	0.050		0.050	सड़क
42.	168, 169/2/ 3 ख	0.051			
43.	168, 169/2/3/2 ख	0.058			
44.	168, 169/2/4 क	0.059			
45.	168, 169/ 2/4 ग	0.103			
46.	168, 169/ 2/ 4 ख	0.299			
		<b>7.111</b>	<b>5.520</b>	<b>1.591</b>	
47.	170	1.303		1.303	सड़क
48.	171, 173/2/1	0.036			
49.	171, 173/ 2/ 1/ 2	0.057			
50.	171, 173/ 2/ 1/ 1	0.061			
51.	171, 173/ 2/ 1/ 3	0.038			
52.	171, 173/ 2/ 2	0.049			
53.	171, 173/ 2/ 2/ 1	0.105			
54.	171, 173/ 2/ 2/ 2	0.154			
		<b>0.500</b>	<b>0.500</b>		
55.	172/1, 172/2, 172/1/3	0.198			
56.	172/1, 172/2, 172/3/1 ग	0.020			
57.	172/1, 172/2, 172/ 3/ 2	0.149			
58.	172/ 1, 172/ 2, 172/ 3/ 3	0.097			
59.	172/1, 172/2, 172/3/4 क	0.139			
60.	172/1, 172/2, 172/ 3/4 ख	0.083			
61.	172/1, 172/ 2, 172/ 3/ 5/ 1	0.059			
62.	172/1, 172/ 2, 172/ 3/ 5/ 2	0.058			
63.	172/1, 172/ 2, 172/ 3/ 7	0.105			
64.	172/1, 172/ 2, 172/ 3/ 8	0.097			
65.	172/1, 172/2, 172/3/9	0.129			
66.	172/1, 172/ 2, 172/3/10	0.049			
67.	172/1, 172/ 2, 172/ 3/ 11	0.049			
68.	172/1, 172/2, 173/3/12	0.109			
69.	172/1, 172/ 2, 173/ 3/ 13	0.097			
		<b>1.438</b>	<b>1.438</b>		

1	2	3	4	5	6
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	
70.	173/1, 175/2, 174/2 क	0.421			
71.	173/1, 175/2, 174/2 ख	0.842			
		<b>1.263</b>	<b>1.263</b>		
72.	173/3, 174/1, 175/3, 178 क	4.492			
73.	173/3, 174/1, 175/3, 178 ग	0.485			
74.	173/3, 174/1, 175/3, 178 घ	0.485			
75.	173/3, 174/1, 175/3, 178 ङ	0.485			
76.	173/3, 174/1, 175/3, 178 च	0.485			
77.	173/3, 174/1, 175/3, 178 छ	0.485			
78.	173/3, 174/1, 175/3, 178 ख	0.149			
79.	175/1/1	0.105			
80.	175/1/2	0.036			
81.	175/1/2/1	0.073			
82.	175/4	0.081			
		<b>7.361</b>	<b>7.361</b>		
83.	176	0.632	0.632		
84.	180	1.072		1.072	सड़क
85.	199/1/1 क	0.050		0.050	सड़क
86.	199/1/1 ख	0.242			
87.	199/1/2 क	0.020		0.020	सड़क
88.	199/1/2 ख	0.081			
89.	199/1/3	0.202			
90.	199/1/4	0.036			
91.	199/1/5	0.166			
92.	199/2	0.202			
93.	199/3	0.202			
94.	199/4/1	0.101			
95.	199/4/2	0.101			
		<b>1.403</b>	<b>1.333</b>	<b>0.070</b>	
96.	234/1, 237/1/1क	1.619	0.128		
97.	177	2.493	2.493		
98.	208, 209/2	4.475	1.690		
99.	185/1	0.182	0.182		
100.	184/1/1 क	0.202			
101.	184/1/1 ख	0.405			
102.	184/1/2 क	0.367			
103.	184/1/2 ख	0.240			
104.	184/1/3 क	0.048			

1	2	3	4	5	6
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	
105.	184/1/3 ख	0.284			
106.	184/2	0.178			
107.	184/3	0.283			
		<b>2.007</b>	<b>2.007</b>		
108.	181/1/1-183/1/1,181/1/2, 183	0.093			
109.	181/1/3/1-183/1/3/1 क	0.060			
110.	181/1/3/2-183/1/3/2	0.444			
111.	181/1/3/3	0.416			
112.	181/1/3/4-183/1/3/1	0.390			
113.	181/1/4/1-183/1/3/2/2	0.422			
114.	181/1/4/2-183/1/4/2	0.324			
115.	181/3/2/2-183	0.048			
		<b>2.197</b>	<b>2.197</b>		
116.	284/173	0.211	0.044		
	<b>ग्राम मुबारकपुर योग ..</b>	<b>45.679</b>	<b>34.701</b>	<b>4.918</b>	

## ग्राम कुराना

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा	योजना में सम्मिलित रकबा	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	
1.	253	4.419	0.021	
2.	254	7.49	4.780	
3.	255	0.142	0.142	
4.	256	0.04	0.040	रास्ता
5.	236	1.857	0.216	
6.	237 (merged in 235)	8.626	0.694	
7.	238	5.103	0.524	
8.	257	1.263	0.065	नाला
9.	269	11.505	0.577	
10.	270	9.085	0.083	
	<b>ग्राम कुराना योग ..</b>	<b>49.530</b>	<b>7.142</b>	
		<b>ग्राम मुबारकपुर योग ..</b>	<b>34.701</b>	हेक्टेयर में
		<b>ग्राम कुराना योग ..</b>	<b>7.142</b>	हेक्टेयर में
		<b>कुल योग ..</b>	<b>41.843</b>	हेक्टेयर में

कुमार पुरूषोत्तम,  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

## अन्य सूचनाएं

### सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स शारदा बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स के पार्टनर श्री रवि कवडकर आत्मज श्री रामकृष्ण कवडकर के द्वारा दिनांक 12-12-2011 को इस फर्म तथा इसकी प्रापर्टी प. ह. नं. 52, बं. नं. 143, खसरा नं. 30, 31/1, 32/2 से अपना लाभ (प्राफिट) लेकर मेरे पक्ष में हक त्याग दिया है. अतः अब मैं सुनील झोड़ इस फर्म व प्रापर्टी का एक मात्र हकदार (स्वामी) रह गया हूँ.

आम जनता के सूचनार्थ प्रकाशित.

For -Sharda Builders & Developers

सुनील बाबूराव झोड़,  
Partner.

(352-बी.)

### सूचना

मे. प्रगति इण्डिया कांस्ट्रक्शन कम्पनी रीवा जो कि फर्म एवं संस्थाएं, रीवा संभाग, रीवा में रीवा डिवीजन-13 क्रमांक में दिनांक 01-03-1999 में रजिस्टर्ड है. फर्म के निम्न 02 साझेदारों द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त दिनांक 31-08-2003 को ली गई है.

#### साझेदारों के नाम

1. श्री राम विशाल मिश्रा  
पिता श्री राम प्रसाद मिश्रा
2. श्री संतोष कुमार गुप्ता  
पिता श्री तीरथ प्रसाद गुप्ता

उक्त प्रकाशन सर्वजन सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है.

#### पता

पुलिस लाइन्स के पीछे,  
बस स्टैण्ड, शहडोल (म. प्र.).  
आदर्श नगर कॉलोनी,  
सतना (म. प्र.).

#### द्वारा

For : M/s. Pragati India Construction Co.

अजय त्रिपाठी,  
(साझेदार).

(353-बी.)

### सूचना

मे. प्रगति इण्डिया कांस्ट्रक्शन कम्पनी रीवा जो कि फर्म एवं संस्थाएं, रीवा संभाग, रीवा में रीवा डिवीजन-13 क्रमांक में दिनांक 01-03-1999 में रजिस्टर्ड है. फर्म के निम्न साझेदार द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त दिनांक 01-04-2011 को ली गई है.

#### साझेदार का नाम :

1. श्री मार्टण्ड प्रताप त्रिपाठी  
पिता श्री धर्मदास त्रिपाठी

उक्त प्रकाशन सर्वजन सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है.

#### पता :

मानस नगर, बरा,  
रीवा (म. प्र.)

For : M/s. Pragati India Construction Co.

अजय त्रिपाठी,  
(साझेदार).

(353-A-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ओम पार्वती बिल्डर्स एण्ड कोलोनाइजर समान रीवा से दिनांक 17-07-2013 से निम्न भागीदारों को पृथक् किया जाता है—

श्रीमती राजकुमार मिश्रा

श्रीमती कल्पना पटेल

श्रीमती विद्यावती पटेल

उक्त दिनांक पश्चात् फर्म से पृथक् किए गए पार्टनरों का फर्म से किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं रहेगा.

अविनाश मिश्रा,

(पार्टनर)

मैसर्स ओम पार्वती बिल्डर्स एण्ड कोलोनाइजर  
समान, रीवा, मध्यप्रदेश.

(355-बी.)

### आम सूचना

मैं, जितेन्द्र कुमार अलीजा (पुरोहित) पुत्र प्रमोद कुमार अलीजा अपने उपनाम अलीजा को अपने नाम से अलग करना चाहता हूँ और अपने उपनाम अलीजा के स्थान पर अपनी मूल जाति पुरोहित शामिल करता हूँ.

अतः आज से अब मेरा पूरा नाम जितेन्द्र कुमार पुरोहित, निवासी टेहरका, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.) पढ़ा व समझा जावे तथा मुझे इसी नाम से पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(जितेन्द्र कुमार अलीजा)

नया नाम :

(जितेन्द्र कुमार पुरोहित)

(342-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, भोला प्रसाद चर्मकार आत्मज स्व. श्री दुलारे चौधरी के नाम से जाना था. अब मैं अपना नाम परिवर्तन कर लिया हूँ. अतः मुझे अब भोला प्रसाद चौधरी के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(भोला प्रसाद चर्मकार)

नया नाम :

(भोला प्रसाद चौधरी)

सहायक ग्रेड-2,

संभागीय पेंशन कार्यालय, रीवा,

पता—ग्राम पकरा, पो. आ. गुढ़,

थाना गुढ़, रीवा (म. प्र.).

(343-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, वंदना भागवानी पिता रतनलाल भागवानी के नाम जानी जाती थी. विवाह पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित होने से वर्तमान में मुझे रिया गिडवानी पति कपिल गिडवानी के नाम से पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(वंदना भागवानी)

नया नाम :

(रिया गिडवानी)

पत्नी कपिल गिडवानी,

पता—363, गायत्री कॉलोनी,

शाजापुर (म. प्र.)-465001.

(344-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार रोहन राठौर पिता श्रीराम राठौर, निवासी—46, पीपल गली, बड़वाह, जिला खरगौन (म. प्र.) दिनांक 01-11-2008 ईसवी के पूर्व समस्त अभिलेखों में अपना नाम “शीतल कुमार राठौर” लिखते थे तथा इसी नाम से जाने जाते थे. उक्त दिनांक के पश्चात् से हमारे पक्षकार ने अपना नाम “रोहन राठौर” घोषित और परिवर्तित कर दिया है. उक्त दिनांक के बाद से वे भविष्य में समस्त कार्यकलापों तथा संव्यवहारों आदि के सम्बन्ध में अपने इसी परिवर्तित नाम “रोहन राठौर” का उपयोग करेंगे तथा इसी नाम से जाने जायेंगे. दिनांक 01-11-2008 से पूर्व उनके पूर्व नाम शीतल कुमार राठौर के नाम से उनके द्वारा किए गए सारे संव्यवहार उनके नाम परिवर्तन (रोहन राठौर) के पश्चात् भी उन पर उसी प्रकार से बंधनकारी होंगे मानो उन्होंने अपना नाम परिवर्तित ही नहीं किया है.

प्रणय कुमार गांवशिन्डे,

(एडवोकेट),

29, शीतलामाता बाजार,

बड़वाह, म. प्र.

(345-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम अनंत रोहतगी पुत्र श्री बालकृष्ण रोहतगी, निवासी—नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर है तथा मेरा घर का नाम आनंद है तथा मार्कशीट, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में मेरा नाम अनंत रोहतगी है. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मेरा नाम अनंत रोहतगी है. मुझे अनंत रोहतगी के नाम से ही जाना जाये.

अतः सर्व-साधारण को सूचित हो.

पुराना नाम :

( आनंद रोहतगी )

नया नाम :

( अनंत रोहतगी )

पुत्र श्री बालकृष्ण रोहतगी,

निवासी—नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर.

(346-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम यसवन्त शर्मा (Yasvant Sharma) था, जिसे हमने अब बदलकर यशवन्त शर्मा (Yeshwant Sharma) कर लिया है. अतः अब से मुझे मेरे नये नाम यशवन्त शर्मा (Yeshwant Sharma) से ही लिखा और पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( यसवन्त शर्मा )

( YASVANT SHARMA )

नया नाम :

( यशवन्त शर्मा )

( YESHWANT SHARMA )

101, बृजकमल अपार्टमेंट,,

84, स्वामी विवेकानन्द नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(347-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को ज्ञात हो कि मैं, श्रीमती अनुप्रीत कौर आज दिनांक 08-09-2013 को यह घोषित करती हूँ कि मेरा सन् 1998 में सरदार सतनाम सिंह पिता स. प्रीतम सिंह के साथ विवाह हुआ था. उक्त विवाह दिनांक 21-09-2007 को न्यायालय की डिक्री होने के पश्चात् विच्छेद हो चुका है. तत्पश्चात् मेरा विवाह सरदार मनिन्दर सिंह आत्मज श्री जगजीत सिंह के साथ सम्पन्न हुआ है. अतः मेरी पुत्री कु. जसमीत कौर पिता सतनाम सिंह को कु. जसमीत कौर पिता सरदार मनिन्दर सिंह के नाम से जाना जावे और मेरी पुत्री कु. जसमीत कौर से संबंधित सभी शाला अभिलेखों में भी उसका नाम कु. जसमीत कौर पिता सरदार मनिन्दर सिंह ही पढ़ा और समझा जावे.

अनुप्रीत कौर,

पति सरदार मनिन्दर सिंह,

निवास—879, गोरखपुर,

जबलपुर-482001 (म. प्र.).

(348-बी.)



**CHANGE OF NAME**

I, **Anjum Ansari Haque** S/o Abdul Haque Ansari, residing at G-4, Lake City Appartment, Behind Cambridge School, Idgah Hills, Bhopal, M.P. I have changed my name to **Anjum Ansari**. Henceforth I has to be called and known as **Anjum Ansari**.

Old Name :

New Name :

( **Anjum Ansari Haque** )( **Anjum Ansari** )

(349-B.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, अब्दुल रमजान बालिद श्री दिलदार हुसैन, निवासी ग्राम महिदल, तहसील व जिला रीवा, एतद्द्वारा यह इशतहार जारी कर रहा हूँ कि मेरा असली नाम अब्दुल रमजान है, जो मेरी कक्षा 8वीं, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की अंकसूचियों में भी दर्ज है एवं अब्दुल रमजान नाम मेरी सारी चल-अचल सम्पत्तियों में एवं बैंक के खातों में दर्ज है.

मैं, पशु चिकित्सा विभाग, छतरपुर में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ रहा एवं दिनांक 31-10-2010 को अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुआ. सेवा आरंभ के दौरान मेरे द्वारा सेवा पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी अब्दुल रमजान के नाम से ही किए गए किन्तु सेवा आरंभ के दौरान जब मेरी सेवा पुस्तिका तैयार की गई उस समय लिपिक द्वारा मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम रमजान खां दर्ज कर दिया गया इस कारण इसी नाम से मेरा पेंशन प्रकरण तैयार हुआ एवं इसी नाम से कोषालय, छतरपुर द्वारा पी. पी. ओ. जारी किया गया. चूंकि मेरे सभी अभिलेखों बैंक पासबुक आदि में मेरा नाम अब्दुल रमजान दर्ज था, इस कारण कोषालय, रीवा द्वारा मेरे पेंशन एवं ग्रेज्युटी का भुगतान नहीं किया गया.

मेरा असली नाम अब्दुल रमजान है, अतः यह नाम मैं अपनी सेवा पुस्तिका में दर्ज करना चाहता हूँ एवं इसके पश्चात् अपना संशोधित पी.पी.ओ. जारी कराना चाहता हूँ जिस हेतु मैं उक्त इशतहार प्रकाशित कर रहा हूँ.

पुराना नाम :

नया नाम :

( **रमजान खां** )( **अब्दुल रमजान** )

हाल छतरपुर

स्थायी निवास—ग्राम महिदल,  
तहसील व जिला रीवा (म. प्र.).

(350-बी.)

**CHANGE OF NAME**

Be it known that I, **Rehana Sultan** W/o Late **Sagheer Hasan**, Age about 60 Years doing House-hold and Resident of House No. 30, Ward No. 23, Gali No. 1, Behind Masjid Tolwali, Budhwara, District Bhopal-462001 (M. P.) has change my name and henceforth I, shall be known as **Rehana Sagheer** to **Rehana Sultan** in future.

Old Name :

New Name :

( **Rehana Sagheer** )( **Rehana Sultan** )

Address—House No. 30, Ward No. 23,

Gali No. 1, Behind Masjid Tolwali,

Budhwara, District Bhopal-462001 (M. P.).

(351-B.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम हरानी कालानी था, जो अब हरीश कालानी हो गया है. अतः भविष्य में मुझे हरीश कालानी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

( **हरानी कालानी** )( **हरीश कालानी** )

पुत्र श्री घनश्यामदास कालानी,

एस. व्ही.-23, गली नं. 3, आंग्रे कॉलोनी,

लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(356-बी.)

## त्रुटि सुधार

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री इतिशा अग्रवाल की 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश राजीव अग्रवाल छपा है जबकि मेरा वास्तविक नाम राजीव कुमार गुप्ता है जो कि मेरे सभी सरकारी दस्तावेजों में भी अंकित है. अतः मेरा असली नाम राजीव कुमार गुप्ता ही जाना जाये.

गलत नाम :

( राजीव अग्रवाल )

(357-बी.)

सही नाम :

( राजीव कुमार गुप्ता )

जी-3, रतलाम कोठी, इन्दौर, म. प्र.

## विविध

### आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

#### कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक 05 सितम्बर, 2013

क्र./643/आर.डी.एम./2013.—पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के ज्ञाप क्रमांक पु.अ./टी./एसी/1970-पी/13, दिनांक 13 अगस्त, 2013 अनुसार प्रस्तावित किया गया कि जिला टीकमगढ़ की पुलिस चौकी चंदेरा एवं बम्हौरिकला का थाना में उन्नयन होने के कारण थाना जतारा के ग्राम पठारी खुरमपुर, बिजरौटा, मडोरी एवं वीरपुरा को नवीन थाना चंदेरा में सम्मिलित किया जावे.

जिले के भीतर स्थित थानों/चौकियों की सीमाओं का निर्धारण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 2 (क) 15/99/बी-3/दो, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-2 के खण्ड-एस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाड़े, जिला दण्डाधिकारी, टीकमगढ़ अधिसूचित करता हूँ कि थाना जतारा के ग्राम पठारी, खुरमपुर, बिजरौटा, मडोरी एवं वीरपुरा को नवीन थाना चंदेरा में सम्मिलित किया जावे.

सुदाम खाड़े,

जिला दण्डाधिकारी,

(499)

एवं पदेन उप-सचिव, म.प्र.शासन.

## निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर, 2013

क्र. जी.बी./दो(62)2013/3249.—ऑनलाईन ई-टेंडरिंग <https://mpeprocurement.com> से स्क्रीनिंग एवं रेफ्लर कार्ड 180 जी.एस.एम. मेपलिथो पेपर, ए/4, संख्या 2.31 करोड़, एक रंगीय मुद्रण कार्य हेतु नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल के पंजीकृत मुद्रकों से सीलबंद लिफाफे में पेपर सहित मुद्रण, बंधन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित प्रति हजार दरें दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 को दोपहर 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जा सकेंगी. निविदा उसी दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी.

पंजीकृत फर्म ऑनलाईन निविदा की हार्डकापी अभिप्रमाणित पेपर नमूनें, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर एवं निविदा मूल्य राशि रुपये 1,000/- का बैंक ड्राफ्ट नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के पक्ष में तैयार कर की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

मांग कर्ता कार्यालय/विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईड [www.tenders.gov.in](http://www.tenders.gov.in), [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) एवं <https://mpeprocurement.com> पर भी रखा गया है.

(508)

Bhopal, Dated 18<sup>th</sup> September, 2013

No. GB-II/(62)/2013-14/3249.— ONLINE Bidding are invited on <https://mpeprocurement.com>. from the Registered Printers of Government Printing and Stationery, Madhya Pradesh, Bhopal for the Screening and Reflar Card Printing, A4, Qty. 2.31 Crore on 180 gsm. Maplitho Paper. Rates including paper, printing and other charges with all taxes are invited in sealed envelopes on 05 October, 2013 at 2.00 P.M. as per key dates.

2. In all respects complete tender document (Hard Copy) and tender document cost of Rs. 1,000/- in shape of D.D. must be received at the office of the undersigned latest by 3.00 P.M. on **05 October, 2013** and the Envelope of Hard Copy of tender will be opened ONLINE on the same day. *i.e.* **05 October, 2013** at 4.00 P.M. in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

3. Tender Document and agreement details of tender are available at website **www.tenders.gov.in**, **www.govtpressmp.nic.in** and for Online Bidding go through **https:// mpeprocurement.com**.

**AJIT KESARI,**

Controller,

Govt. Printing and Stationery,  
Madhya Pradesh, Bhopal.

(508-A)

ग्वालियर, दिनांक 09 जुलाई, 2013

### ऑफसेट मशीन की रिपेयरिंग हेतु निविदा सूचना

#### (Tender Notice For Repairing of Offset Machine)

क्र. भण्डार/( )/2013-14/2372.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में स्थापित R.O.-62 के 2 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन को Overhaul करने एवं रिपेयरिंग करने के लिये मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 30 सितम्बर, 2013 तक आमंत्रित की जाती हैं.—

1. मैसर्स मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई द्वारा मैनुफैक्चरिंग-“मशीन R.O.-62 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के Overhaul” शब्द मुहरबन्द निविदा के लिफाफे पर लिखा जाये.
2. “R.O.-62 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के Overhaul” एवं रिपेयरिंग में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे:-
  - (i) Inking Units
  - (ii) Printing Units
  - (iii) Damping Units
  - (iv) Inking Units Cleaning Device
  - (v) Damaged Blanket Cylinder repairing or replacement
  - (vi) Plate Cylinder Clamping System
  - (vii) R.O.-62 M/c Cutting unit
3. इसके अतिरिक्त मशीन के Overhaul एवं रिपेयरिंग संबंधी अन्य नियम व शर्तें निविदा फॉर्म पर अंकित की गई हैं.
4. निविदा कार्यालय शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर में दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अपराह्न 5.00 बजे तक जमा किये जा रहे हैं. किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी.
5. निविदा के साथ राशि रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार) F.D.R. के रूप में उप-नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर के नाम से तैयार कर संलग्न करना अतिआवश्यक है. बिना निक्षेप राशि के निविदा प्राप्त होने पर उस निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा.
6. निविदा दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर में अपराह्न 4.00 बजे खोली जायेगी. निविदा अथवा उनका प्रतिनिधि उस तिथि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें समक्ष बैठने की अनुमति होगी.
7. समस्त निविदा/निविदाओं को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उप-नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा.

8. समिति द्वारा अनुशंसा किये गये कम्पनी के दर की राशि के 3% राशि की बैंक गारण्टी अथवा F.D.R. उप-नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर के नाम से तैयार कर जमा करना होगा. उस राशि में निविदा निक्षेप राशि रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार) सम्मिलित करना होगा एवं करारनामा करना होगा.
9. मशीन के Overhaul एवं रिपेयरिंग के पश्चात् संतोषजनक कार्य पूर्ण करने एवं मशीन को चालू करने पर एक माह के भीतर निविदा में समिति द्वारा अनुशंसित राशि का 90% राशि भुगतान किया जा सकेगा.
10. तीन माह तक मशीन को संतोषजनक कार्य करने के पश्चात् शेष 10% राशि का भुगतान किया जा सकेगा.
11. मशीन में लगाए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की एक साल की गारण्टी देनी होगी. एक साल के अंदर Spare Parts, Electric Parts and Electronic Parts में कोई खराबी आती है तो कम्पनी को उसे बदलना होगा एवं मशीन को चालू करना होगा. इसके लिये उसे Spare Parts, Electric Parts and Electronic Parts के लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा.
12. निविदा ऑफसेट मशीन के निर्माता कम्पनी ऑफसेट मशीन के मेन्टेनेन्स करने वाली कम्पनी अथवा बड़े वर्कशॉप जिन्हें ऑफसेट मशीन रिपेयरिंग करने का कम से कम 10 वर्ष का स्पेयर पार्ट्स बनाने एवं रिपेयरिंग करने का अनुभव हो वे ही निविदा में भाग ले सकते हैं.
13. निविदाकार को इस बात का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा कि उन्होंने पूर्व में शासकीय प्रेस/अर्द्ध शासकीय प्रेस में स्थापित ऑफसेट मशीन का Overhaul कम्पलीट मशीन का Repairing कार्य पूर्ण किया है.
14. एक वर्ष मशीन का कार्य संतोषजनक करने पर करारनामा के अनुसार उन्हें निविदा निक्षेप राशि एवं बैंक गारंटी/करारनामा राशि वापस की जा सकेगी.
15. मशीन के रिपेयरिंग के लिये खोलने के दिन से कितना समय रिपेयरिंग के लिये लगेगा इसके लिये समय निविदा में लिखा जाना आवश्यक है.
16. कम्पनी/फर्म अपने लेटर हेड में निविदा दर लिखकर प्रस्तुत करें एवं नीचे हस्ताक्षर कर फर्म/कम्पनी का सील लगायेंगे.
17. निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है:—
  - (A) आयकर रिटर्न की फोटोकॉपी.
  - (B) वाणिज्यिक कर अधिनियम के अनुसार वैट चुकता प्रमाण-पत्र.
  - (C) Tin No. अंकित किया जाये.
  - (D) राष्ट्रीयकृत बैंक का निविदा निक्षेप राशि F.D.R. का नम्बर, दिनांक, राशि रुपये 5,000/- बैंक का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य है.
  - (E) शासकीय प्रेस अथवा अर्द्ध शासकीय प्रेस में Overhaul/कम्पलीट रिपेयरिंग कार्य करने का प्रमाण-पत्र
18. R.O.-62 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का निरीक्षण शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर में कार्यालयीन समय में किसी भी दिन किया जा सकता है.

विलास मंथनवार,  
उप-नियंत्रक,  
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,  
ग्वालियर.

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, तहसील बुधनी, जिला सीहोर

#### प्रारूप

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-3 (1) के द्वारा ]  
लोक न्यासों के पंजीयक, तहसील बुधनी, जिला सीहोर के समक्ष.

यह कि देव राधा ट्रस्ट समिति, माँ जगत जननी मंदिर परिसर, शनी मंदिर के पास, वार्ड नं. 09, बुधनी, तहसील बुधनी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा 05 अक्टूबर, 2013 के दिवस मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितवद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

#### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	देव राधा ट्रस्ट, तहसील बुधनी, जिला सीहोर
1. चल सम्पत्ति	:	निरंक.
2. अचल सम्पत्ति	:	कृषि भूमि सर्वे नम्बर 153/26, रकबा 0.014 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 153/33 रकबा 0.018 हेक्टर कुल रकबा 0.032.

जे. पी. सचान,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(500)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

#### ( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत ]

त्रिवेणी चेरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय 10, मालवा मिल ब्लॉक, पाटनीपुरा चौराहा, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से डॉ. श्री मुकेश पिता रतनलाल दुबे, पता-10, मालवा मिल ब्लॉक, पाटनीपुरा चौराहा, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	त्रिवेणी चेरिटेबल ट्रस्ट.
पता	:	10, मालवा मिल ब्लॉक, पाटनीपुरा चौराहा, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5100/- (अक्षरी रुपये पांच हजार एक सौ मात्र).

आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(501)

## ( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

एसोसिएसन ऑफ इंडियन फिजियोथेरापिस्ट, कार्यालय 301/सी, कालिंदी स्कवेयर, लोटस शोरूम के पीछे, ए. बी. रोड, इन्दौर की ओर से डॉ. संजीव कुमार पिता सुरेश कुमार झा, पता 702/बी-1, शहनाई रेसीडेंसी, ए. बी. रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण )

ट्रस्ट का नाम	:	एसोसिएसन ऑफ इंडियन फिजियोथेरापिस्ट.
पता	:	301/सी, कालिंदी स्कवेयर, लोटस शोरूम के पीछे, ए. बी. रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	1000/- ( अक्षरी रुपये एक हजार मात्र ).

आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,  
रजिस्ट्रार.

( 501-A )

**न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर**

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

## प्रारूप-पांच

[ देखिये नियम 5 ( 1 ) ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 की धारा- 5 ( 1 ) व 5 ( 2 ) के अंतर्गत ]

समक्ष.—पंजीयक, लोक न्यास, शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष.

अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार सोनी पिता श्री मदनलाल सोनी, पंचवटी परिसर, शुजालपुर मण्डी के द्वारा श्री क्षेत्र के मेढ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज लोक व धार्मिक पारमार्थिक न्यास का मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उप-धारा ( 4 ) के अधिप्राय के लिये पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. जिस पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, दो प्रतियों में इस विज्ञापित के प्रकाशन होने के 1 माह के अन्दर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

1. न्यास का मुख्यालय-पचोर रोड, शुजालपुर सिटी, तहसील-शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश पिन कोड -465223.
2. कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.

3. न्यास का उद्देश्य-समाज जन का सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास करना, समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े एवं वर्ग का उत्थान करना, समाज जनों का शैक्षणिक विकास तथा निर्धन एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर उनके शिक्षण में सहयोग करना, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के इलाज में सहायता करना, निर्धन कन्याओं के लिए योग्य वर की तलाश करना तथा सामूहिक विवाह आदि आयोजित करना, नारी शिक्षा एवं नारी उत्थान करना तथा रूढ़िवादी कुप्रथाओं को समाप्त करना.

4. न्यास के आय के साधन-दान, चन्दा आदि.

क्षेत्र के मेढ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, शुजालपुर की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है.—

चल सम्पत्ति . . . निरंक.

अचल सम्पत्ति . . . शुजालपुर स्थित भूमि खसरा क्र. 1121, रकबा 0.408 हे. में से 021 हे. अर्थात् 30 × 75 वर्गफीट भूमि का प्लॉट है.

हिन्दूसिंह चुण्डावत,

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(502)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/605.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1322, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के द्वारा श्रद्धा सुमन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम, पंजीयन क्रमांक/468, दिनांक 01 अक्टूबर, 1988 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रद्धा सुमन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम, पंजीयन क्रमांक/468, दिनांक 01 अक्टूबर, 1988 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(503)

रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/606.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/336, दिनांक 18 मार्च, 2010 के द्वारा माही माता आदिवासी खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, सेतूपाड़ा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/795, दिनांक 31 जुलाई, 2004 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माही माता आदिवासी खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, सेतूपाड़ा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/795, दिनांक 31 जुलाई, 2004 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-A)

रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/607.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/338, दिनांक 18 मार्च, 2010 के द्वारा आदिवासी शिवाजी मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, सूजापुर, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/719, दिनांक 29 अक्टूबर, 1996 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी शिवाजी मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, सूजापुर, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/719, दिनांक 29 अक्टूबर, 1996 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-B)

रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/608.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/779, दिनांक 24 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ोदा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/633, दिनांक 30 जून, 1994 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ोदा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/633, दिनांक 30 जून, 1994 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-C)

रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/609.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/779, दिनांक 24 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिण्डवासा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/549, दिनांक 15 जनवरी, 1991 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के



पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिण्डवासा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/549, दिनांक 15 जनवरी, 1991 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-D)

रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/610.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1002, दिनांक 15 जुलाई, 2008 के द्वारा अल्कोहल प्लांट कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/431, दिनांक 03 जून, 1987 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री बी. एस. मसानिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अल्कोहल प्लांट कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/431, दिनांक 03 जून, 1987 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-E)

रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/611.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1002, दिनांक 15 जुलाई, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पंचेवा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/370, दिनांक 30 अक्टूबर, 1984 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री बी. एस. मसानिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पंचेवा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/370, दिनांक 30 अक्टूबर, 1984 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-F)

रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/612.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1002, दिनांक 15 जुलाई, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जड़वासाकलां, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/435, दिनांक 06 जून, 1987 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री बी. एस. मसानिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जड़वासाकलां, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/435, दिनांक 06 जून, 1987 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(503-G)

रतलाम, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/613.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन//1002, दिनांक 15 जुलाई, 2008 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांगरोद, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/363, दिनांक 14 मई, 1985 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री बी. एस. मसानिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांगरोद, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/363, दिनांक 14 मई, 1985 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(503-H)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/646.—प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, बरपट्टी का माल, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/549, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, बरपट्टी का माल, तहसील

सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-I)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/647.—प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, लाम्बाखेड़ी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/549, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, लाम्बाखेड़ी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-J)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/648.—प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, सबलगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/548, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, सबलगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-K)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/649.—प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, खारी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/547, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, खारी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(503-L)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/650.—प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ीनाल, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/546 (बी), रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ीनाल, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(503-M)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/651.—प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, चावड़ाखेड़ी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/546, रतलाम,

दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, चावड़ाखेड़ी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-N)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/652.—प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, नवाबगंज, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/545, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी संस्था मर्यादित, नवाबगंज, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-O)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/653.—प्राथमिक माही बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रावटी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/564, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक माही बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रावटी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-P)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/654.—प्राथमिक माँ कवलका बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गडावदिया, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/566, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक माँ कवलका बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गडावदिया, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-Q)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/655.—प्राथमिक शासकीय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित, सैलाना, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/550, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक शासकीय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित, सैलाना, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-R)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/656.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरथल, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/704, दिनांक 19 जून, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/522, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरथल, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बाजना को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-S)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/657.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमर, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक/685, दिनांक 30 जून, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/523, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उमर, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बाजना को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-T)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/658.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बायड़ी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक 624, दिनांक 30 जून, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/514, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बायड़ी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बाजना को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(503-U)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/659.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रावटी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक 623, दिनांक 30 जून, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/512, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रावटी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बाजना को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(503-V)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/661.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शिवगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन



क्रमांक 621, दिनांक 30 जून, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/517, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शिवगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बाजना को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(503-W)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/662.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दन्तोडिया, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक 262, दिनांक 28 मई, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/484, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दन्तोडिया, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(503-X)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/663.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमलेठा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक 272, दिनांक 20 अगस्त, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/525, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र,

दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमलेठा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-Y)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/644.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मऊ, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक 267, दिनांक 28 मई, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/513, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मऊ, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(503-Z)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/665.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रेन, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 09 अगस्त, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/511, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रेन, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/666.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भदवासा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/518, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भदवासा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-A)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/667.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थम्बगुराडिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/508, दिनांक 29 मार्च, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/491, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थम्बगुराडिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-B)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/668.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रणायरा, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/815, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/492, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रणायरा, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-C)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/669.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुडियाखेड़ी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/833, दिनांक 19 सितम्बर, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/494, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुडियाखेड़ी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-D)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/670.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुधिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन

क्रमांक/694, दिनांक 10 मार्च, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/496, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुधिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-E)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/671.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुडिया सुरजमल, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/848, दिनांक 09 अगस्त, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/495, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुडिया सुरजमल, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-F)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/672.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शेरपुर, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक/308, दिनांक 06 जुलाई, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/483, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शेरपुर, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलौदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-G)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/673.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नन्दावता, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/497, दिनांक 02 दिसम्बर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/485, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नन्दावता, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलौदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-H)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/674.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागपिपलिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/509, दिनांक 12 सितम्बर, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/486, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागपिपलिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलौदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-I)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/675.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोठड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/596, दिनांक 06 जनवरी, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/487, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोठड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलौदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-J)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/676.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कामलिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/597, दिनांक 06 जनवरी, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/488, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कामलिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलौदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-K)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/677.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरवना, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/620, दिनांक 30 जून, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/489, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरवना, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलौदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-L)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/678.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भूतिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/628, दिनांक 30 जून, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/490, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भूतिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलौदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-M)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/679.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मरम्या, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/817, दिनांक 15 फरवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र



क्रमांक/परिसमापन/2013/521, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मरम्या, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलौदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-N)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/680.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हाटपिपलिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/837, दिनांक 08 सितम्बर, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/493, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हाटपिपलिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलौदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-O)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/681.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माण्डवी, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/614, दिनांक 30 जून, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/508, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माण्डवी, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलोदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-P)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/682.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, असावती, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/510, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, असावती, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलोदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-Q)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/683.—प्राथमिक जय चम्बल मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, ऊनी, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/557, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक जय चम्बल मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, ऊनी, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलोदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयवधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-R)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/684.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुरूखेडी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/276, दिनांक 08 फरवरी, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/515, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुरूखेडी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयवधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-S)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/685.—प्राथमिक जनता साख सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/551, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक जनता साख सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलोदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयवधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-T)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/687.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरसी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/516, दिनांक 20 जून, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/526, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरसी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-U)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/688.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठडी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/838, दिनांक 09 सितम्बर, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/504, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 09 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठडी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-V)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/689.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कराडिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक/690, दिनांक 19 मार्च, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ

सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/505, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कराडिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-W)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/690.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डेलवास, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक 610, दिनांक 01 फरवरी, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/516, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डेलवास, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-X)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/692.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कसारी हरोड़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक 466, दिनांक 07 नवम्बर, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/507, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कसारी हरोड़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-Y)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/693.—प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाना (ताल), तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्रमांक 847, दिनांक 09 अगस्त, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/509, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाना (ताल), तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. पंवार, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, आलोट को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(504-Z)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/694.—प्राथमिक सावरियां फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, आलनिया (मांगरोल), जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/536, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक सावरियां फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, आलनिया (मांगरोल), जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/695.—प्राथमिक सहयोग फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, रामगढ़, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/535, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक सहयोग फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, रामगढ़, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505-A)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/696.—प्राथमिक श्री कृष्ण फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/534, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक श्री कृष्ण फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505-B)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/697.—प्राथमिक कृषक विकास साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/538, रतलाम, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक कृषक विकास साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(505-C)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/698.—प्राथमिक सोनिया रेडीमेड सिलाई सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/561, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक सोनिया रेडीमेड सिलाई सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(505-D)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/699.—प्राथमिक आदिवासी महिला हस्त शिल्प सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम, (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/562, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र



का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आदिवासी महिला हस्त शिल्प सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505-E)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/700.—प्राथमिक महावीर पापड़-बड़ी सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/563, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक महावीर पापड़-बड़ी सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, जावरा/पिपलोदा को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505-F)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/701.—प्राथमिक चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ओझाखाली, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/567, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ओझाखाली, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505-G)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/702.—प्राथमिक जय महादेव मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, दमेलपाडा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/559, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक जय महादेव मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, दमेलपाडा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505-H)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/703.—प्राथमिक जय बजरंग बली मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, ताल, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/560, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक जय बजरंग बली मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, ताल, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505-I)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/704.—प्राथमिक महिला स्वास्थ्य सेवा सहकारी साख संस्था मर्यादित, रतलाम, (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/555, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक महिला स्वास्थ्य सेवा सहकारी साख संस्था मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505-J)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/705.—प्राथमिक जनता साख सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/553, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है। सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक जनता साख सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(505-K)

रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/706.—प्राथमिक अर्द्ध शासकीय शिक्षक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/553, रतलाम, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र, दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल, 2013 में भी कराया गया है. सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही पक्ष समर्थन किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक अर्द्ध शासकीय शिक्षक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,  
उप रजिस्ट्रार.

(505-L)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि.13/437, दिनांक 09 अप्रैल, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धतुरा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धतुरा, पंजीयन क्रमांक 608, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एल. कमरानी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(506)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि.13/437, दिनांक 09 अप्रैल, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटमा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.



















अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वेल्दरा, पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 05 मई, 2011 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 22 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(506-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./13/437, दिनांक 09 अप्रैल, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंधी, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंधी, पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 31 मार्च, 2011 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 22 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(506-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./13/437, दिनांक 09 अप्रैल, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुटाई, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुटाई, पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 22 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(507)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./13/437, दिनांक 09 अप्रैल, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उदयपुर, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।





अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुठौती, पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एल. कमरानी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 22 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(507-G)

संजय नायक,  
उप-रजिस्ट्रार.





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013-आश्विन 5, शके 1935

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 जून, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना, जौरा, केलारस (मुरैना), श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, मिहोना (भिण्ड), भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), पिछोर, खनियाधाना, पोहरी (शिवपुरी), चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), पृथ्वीपुर, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), गुन्नोर, पवई, शाहगढ़ (पन्ना), राहतगढ़ (सागर), मऊगंज, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), कोतमा (अनूपपुर), गोपदवनास, सिहावल, चुरहट, रामपुर-नैकिन (सीधी), मल्हारगढ़, श्यामगढ़ (मंदसौर), आलोट, बाजना (रतलाम), खाचरौद (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, आगर, बड़ोद, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर), झाबुआ (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर (अलीराजपुर), सरदारपुर (धार), ठीकरी, निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बैरसिया (भोपाल), शाहपुर, बैतूल, मुलताई, आमला (बैतूल), रीठी, विजयराघवगढ़ (कटनी), निवास (मण्डला), छिन्दवाड़ा, हरई (छिन्दवाड़ा), लखनादौन (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील अटेर (भिण्ड), नरवर, करैरा, बदरवास (शिवपुरी), जतारा (टीकमगढ़), गौरीहार, छतरपुर, राजनगर (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), बीना, मालथोन (सागर), त्योंथर, सिरमौर (रीवा), पाली (उमरिया), धुन्धडका (मंदसौर), जावरा (रतलाम), महिदपुर, नागदा (उज्जैन), कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), बड़वानी, राजपुर, संधवा (बड़वानी), नेपानगर (बुरहानपुर), बेगमगंज (रायसेन), कटनी, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही (कटनी), बिछिया, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), सोंसर, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील सबलगढ़ (मुरैना), निवाड़ी (टीकमगढ़), लौण्डी (छतरपुर), बण्डा, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा (सागर), जेतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), मंदसौर, संजीत (मंदसौर), सैलाना, पिपलौदा (रतलाम), घटिया, बड़नगर (उज्जैन), नलखेड़ा (शाजापुर), बदनावर (धार), पानसेमल (बड़वानी), हुजूर (भोपाल), रायसेन, बरेली, बाड़ी (रायसेन), घोड़ाडोंगरी (बैतूल), सीहोरा, पाटन, कुन्डम (जबलपुर), बड़वारा (कटनी), नैनपुर, मण्डला (मण्डला), जुन्नारदेव, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), केवलारी, कुरई, धनोरा (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), शिवपुरी, कोलारस (शिवपुरी), गुना, राधौगढ़, बामोरी, आरोन (गुना), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), बिजावर, बड़ामलहरा, वकस्वाह (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), खुरई, सागर, शाहगढ़, केसली (सागर), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बाधंवागढ़, मानपुर (उमरिया), मझौली, कुसमी (सीधी), सुवासराटप्पा (मंदसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), रतलाम (रतलाम), तराना, उज्जैन (उज्जैन), सुसनेर (शाजापुर), धार (धार), पाटी (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी (सीहोर), गैरतगंज, गोहरगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), भैसदेही, चिचौली, आढनेर (बैतूल), जबलपुर, मझौली (जबलपुर), डिण्डोरी, शाहपुर (डिण्डोरी), परासिया, जामई, पांढुर्णा, चौरई, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, घंसौर, छपारा (सिवनी), बालाघाट, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, रीवा, अनूपपुर, सीधी, देवास, झाबुआ, धार, इंदौर, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, हरदा, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी में जुताई व बैतूल, होशंगाबाद में जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला पन्ना, सागर, अलीराजपुर, इंदौर, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, अनूपपुर, उमरिया, बड़वानी, भोपाल, बैतूल, मण्डला, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12 जून, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) गेहूँ, चना, तिल्ली समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	12.0				
4. जौरा	1.0				
5. सबलगढ़	41.0				
6. कैलारस	5.0				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	13.0		4. (1) गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	17.0				
3. विजयपुर	12.0				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. अटेर	18.0		4. (1) .. (2) ..	6. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	5.0				
3. गोहद	5.0				
4. मेहगांव	16.1				
5. लहार	9.5				
6. मिहोना } 7. रौन }	15.0				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. ग्वालियर	88.9		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	61.0				
3. भितरवार	6.0				
4. घाटीगांव	17.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	64.0		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	6.0				
3. खनियाधाना	9.0				
4. नरवर	21.0				
5. करैरा	34.0				
6. कोलारस	76.0				
7. पोहरी	10.0				
8. बदरवास	31.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला अशोकनगर:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	113.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधौगढ़	76.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	109.0				
4. आरोन	51.0				
5. चाचौड़ा	12.0				
6. कुम्भराज	6.0				
7. मकसूदनगढ़	..				
<b>जिला टीकमगढ़:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	35.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	8.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	25.0				
4. टीकमगढ़	54.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	15.0				
6. ओरछा	3.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	50.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	22.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	14.5				
4. छतरपुर	21.6				
5. राजनगर	24.6				
6. बिजावर	54.0				
7. बड़ामलहरा	87.0				
8. बकस्वाहा	60.0				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	31.9		4. (1) तुअर, उड़द, मूंग, तिल, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	66.0		जौ, राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	8.0		मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक.		
4. पवई	13.0		(2) ..		
5. शाहनगर	17.0				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	30.8		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	78.0		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	52.8		प्याज समान.		
4. सागर	82.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	52.7				
6. देवरी	48.0				
7. गढ़ाकोटा	52.2				
8. राहतगढ़	16.5				
9. केसली	60.1				
10. मालथोन	26.4				
11. शाहगढ़	100.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) उड़द, मूंग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>*जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	28.0		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	32.2		जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	11.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	8.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	5.0				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	53.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	45.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	6.2				
4. पुष्पराजगढ़	76.8				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	92.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	21.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	54.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	15.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. सिंहावल	10.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	67.5				
4. कुसमी	58.0				
5. चुरहट	15.0				
6. रामपुरनैकिन	2.0				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	57.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	..	
3. मल्हारगढ़	17.0				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	35.0				
6. संजीत	39.0				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	33.0				
9. शामगाढ़	12.0				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	67.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	104.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	96.8				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	32.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	3.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	48.0				
4. बाजना	17.0				
5. पिपलौदा	36.0				
6. रतलाम	75.4				
7. ताल	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	11.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	33.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	77.0				
4. घटिया	44.0				
5. उज्जैन	78.0				
6. बड़नगर	50.4				
7. नागदा	33.0				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	13.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	60.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	51.2				
4. आगर	2.0				
5. बड़ौद	10.0				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	10.0				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	3.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	1.0				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जोवट	2.4		4.(1) मक्का, तुअर अधिक. (2) ..	6. संतोषप्रद, ..	8. ..
2. अलीराजपुर	2.2				
3. भामरा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. चन्द्रशेखर- आजाद नगर	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	39.8		4. (1) गन्ना कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	6.0				
3. धार	69.2				
4. कुक्षी	30.1				
5. मनावर	31.0				
6. धरमपुरी	27.0				
7. गंधवानी	20.0				
8. डही	30.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य एवं बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>*जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वाह	..		4. (1) .. (2) ..	6. ..	8. ..
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्लान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	25.5		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ...
2. ठीकरी	14.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	22.0				
4. सेंधवा	30.0				
5. पानसेमल	36.0				
6. पाटी	83.0				
7. निवाली	7.6				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
<b>जिला पूर्ण-निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	4.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	75.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	20.5				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
<b>*जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	11.2		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	46.1		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	127.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	111.0		(2) ..	..	
3. इछावर	91.0				
4. नसरुल्लागंज	198.0				
5. बुधनी	90.0				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	49.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	77.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	20.0				
4. गोहरगंज	73.0				
5. बरेली	47.0				
6. सिलवानी	103.0				
7. बाडी	39.0				
8. उदयपुरा	54.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	59.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	42.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	15.0				
4. चिंचोली	73.6				
5. बैतूल	6.2				
6. मुलताई	17.2				
7. आठनेर	77.7				
8. आमला	5.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	.		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोरा	44.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	47.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	107.5				
4. मझौली	92.5				
4. कुण्डम	51.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	23.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	8.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	5.0				
4. बहोरीबंद	25.3				
5. बड़वारा	37.0				
6. ढीमरखेड़ा	30.0				
7. बरही	18.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	0.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	21.7		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	49.6				
4. मण्डला	37.3				
5. घुघरी	20.4				
6. नारायणगंज	31.9				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	97.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	85.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	15.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	41.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	55.4				
4. जामई (तामिया)	55.0				
5. सोंसर	28.2				
6. पांडुर्णा	103.8				
7. अमरवाड़ा	49.6				
8. चौरई	63.1				
9. बिछुआ	55.0				
10. मोहखेड़ा	27.8				
11. हरई	9.6				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	110.6		4. (1) मूँग, उड़द, मूँगफली, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	35.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	18.0				
4. बरघाट	71.1				
5. कुरई	40.5				
6. घंसौर	132.0				
7. धनोरा	48.0				
8. छपारा	92.8				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	55.8		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		राई-सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	110.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	34.8				
5. कटंगी	47.3				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला अशोकनगर, सतना, शहडोल, प. निमाड़, राजगढ़, विदिशा व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(498)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.